न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,टोंक

(रामरतन सौंकरिया, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 21/2019

प्रविष्टि दिनांक 21.06.2019

1– कजोड पुत्र बिरधा जाति बैरवा निवासी कुशालपुरा तहसील देवली जिला टोंक

2– मन्नी पत्नी बिरधा जाति बैरवा निवासी कुशालपुरा तहसील देवली जिला टोंक

3– लक्ष्मण पुत्र बिरधा जाति बैरवा निवासी कुशालपुरा तहसील देवली जिला टोंक

.....अपीलान्टस

बनाम

1– घासीराम पुत्र कल्याण जाति बैरवा निवासी कुशालपुरा तहसील देवली जिला टोंक

2– नन्दू पुत्री कल्याण जाति बैरवा निवासी कुशालपुरा तहसील देवली जिला टोंक

3– तहसीलदार देवली जिला टोंक

.....रेस्पोडेण्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय तहसीलदार देवली दिनांक 28.12.2018

उपस्थिति : (1) श्री अशोक कुमार गुप्ता, अभिभाषक अपीलान्टस
(2) श्री जितेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक रेस्पोडेण्टस

निर्णय

दिनांक: 30/4/25

संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने माननीय जिला कलेक्टर महोदय टोंक के यहां एक साधारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि भूमि खसरा नम्बर न० 832, 833, 834, 836, 837 किता 5 रकबा 2.21 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम ककोडिया तहसील देवली पडत पड़ी हुई है जिसको कजोड पुत्र बिरधा निवासी कुशालपुरा व उसका परिवार जौतने नहीं देता है तथा हांकने–जौतने में वह तथा उसका परिवार ट्रेक्टर के आगे जा जाता है तथा भगा देता है, इस कारण भूमि पिछले 4 वर्षों से पडत पड़ी हुई है, उक्त आशय का प्रार्थना पत्र तहसीलदार देवली को प्राप्त होने पर उन्होंने एक तरफा में जांच करवाकर अपीलान्ट को सुने बिना अपीलाधीन आदेश के जरिये उक्त भूमि में काश्त करने के लिये पुलिस उप अधीक्षक देवली, थानाधिकारी दूनी के सहयोग से काश्त करवाने तथा कब्जा दिलवाये जाने का आदेश पारित किया है जिसे गैर कानूनी तथा विधिविरूद्ध बताते हुए आदेश निरस्त करवाने हेतु यह अपील यह प्रस्तुत की है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्टस जरिए सम्मन का जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक अपीलान्टस एवं अभिभाषक रेस्पोडेण्टस की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्टस ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलाधीन निर्णय विधि–विधान तथा वास्तविक तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस को बिना सुने, एक तरफा मे केवल मात्र एक साधारण शिकायती तथा मनगढन्त प्रार्थना पत्र पर कानून के विपरीत जाकर पुलिस सहायता से कब्जा करवाने व काश्त करवाने का निर्णय पारित किया है जो प्रथम दृष्टया ही गैर कानूनी है तथा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानो के विपरीत है क्योकि इस प्रकार के निर्णयों के माध्यम से ऐसा आदेश पारित नही किया जा सकता, उक्त आदेश/निर्णय गलत है तथा चलने योग्य नहीं है।

किसी भी कृषि भूमि पर जो वर्षो से पड़त बतायी जा रही है, उस पर खातेदार का कब्जा न हो तथा कब्जा अन्य का हो तो इस प्रकार के साधारण प्रार्थनापत्र के आधार पर नियमों के विपरीत जाकर आदेश नही दिया जा सकता, वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे रेस्पोडेण्टस ने न्यायालय उपखण्ड देवली के यहां अपीलान्टस के विरूद्ध दिनांक 24.07.2017 से स्थायी निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत कर रखा है जिसमे स्वयं वादीगण ने वादग्रस्त भूमियो पर काबिज होकर काश्त करना लिखा है इसके अलावा एक दावा दिनाक 28–4–2017 से कजोड बनाम घासीराम बाबत घोषणाखातेदारी, दुरस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा अपीलान्टस द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली में प्रस्तुत किया हुआ है जिसमे यह प्रश्न विवादित है कि उपरोक्त वर्णित भूमि के साबिक ख०न० 371 मे 11 बीघा भूमि दिनांक 16–5–1965 को बिरधा पुत्र हरदेवा जाति चमार निवासी कुशालपुरा तहसील देवली को आवंटन कर मौके पर कब्जा सुपुर्द किया था तथा उसने काफी मेहनत/धन खार्च करके उक्त भूमि को उपजाऊ बनाया तथा उसकी गैर खातेदारी मे दर्ज कर दी थी।

अपीलान्टस ने घोषणा के दावे मे यह भी अकिंत किया है कि उक्त भूमि अपीलान्टस की खातेदारी व कब्जे काश्त की है, इस भूमि के बीच में से होकर नहर जा रही है जिसके उत्तर की तरफ भूमि आवंटन की गयी थी, इस भूमि से रेस्पोडेन्टस या उसके पिता कल्याण का कोई लेना–देना किसी प्रकार का नही है, परन्तु दौराने भू–प्रबन्ध साबिक खसरा नं. 371 के हाल ख०न० 832, 833, 834, 836, 837, 839, 841, 842, 844, 846, 848, 849, 850 बनाये गये है जो कि बिना किसी आदेश के 832, 833, 834, 836, 837, को रेस्पोडेन्टस की खातेदारी मे लगा दिया गया है जो कि अपीलान्टस की खातेदारी मे अंकित की जानी चाहिए थी ।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

रेस्पोडेन्टस ने अधीनस्थ न्यायालय मे जवाबदावा प्रस्तुत किया है तथा प्रकरण काफी समय से ही विचाराधीन है, रेस्पोडेन्टस ने उक्त दोनों प्रकरणो के विचाराधीन होने के तथ्य को तथा महत्वपूर्ण साक्ष्य को छिपाकर नाजायज तरीके से भूमि हडपने व जबरन कब्जा करने की नियत से एक झूठा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर केवल मात्र पटवारी हल्का की एक तरफा मौका रिपोर्ट जो कि अपीलान्टस की गैर मौजूदगी मे बनायी गयी है, को आधार मानकर वादग्रस्त भूमि पर पुलिस की मदद से रेस्पोडेन्टस का कब्जा करवाने व पुलिस मदद काश्त करवाने का निर्णय दे दिया गया, जिसमे अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है इस कारण उक्त निर्णय गलत है तथा चलने योग्य नही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.12.2018 निरस्त किया जावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्टस ने अपीलान्टस की बहस का जवाब देते हुए कथन किया कि रेस्पोडेण्ट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर न० 832, 833, 834, 836, 837, किता 5 रकबा 2.21 हैक्टेयर वाके ग्राम ककोडिया तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है। उक्त भूमि पर अपीलान्टस ने जबरन लाठी के बल पर कब्जा कर रखा है एवं रेस्पोडेण्ट को काश्त करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस कारण रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 ने माननीय जिला कलेक्टर महोदय टोंक के यहां एक साधारण प्रार्थनापत्र दिनांक 24.05.2018 को प्रस्तुत कर बताया कि उक्त भूमि पडत पड़ी हुई है जिसको अपीलान्ट कजोड पुत्र बिरधा निवासी कुशालपुरा व उसका परिवार जौतने नहीं देता है तथा हांकने–जौतने में वह तथा उसका परिवार ट्रेक्टर के आगे जा जाता है तथा भगा देता है, इस कारण भूमि पिछले 4 वर्षों से पडत पड़ी हुई है, उक्त आशय का प्रार्थना पत्र तहसीलदार देवली को प्राप्त होने पर उन्होंने पटवारी हल्का ककोडिया एवं भू. अ. नि. वृत राजमहल से जांच करवाई गई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि रेस्पोडेण्टस के नाम दर्ज होने से तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश के जरिये उक्त भूमि में काश्त करने के लिये पुलिस उप अधीक्षक देवली, थानाधिकारी दूनी के सहयोग से काश्त करवाने तथा कब्जा दिलवाये जाने का आदेश पारित किया है। इस प्रकार समस्त नियमों व कानूनों की पालना करते हुए उक्त निर्णय विधिसम्मत पारित किया गया है। रेस्पोडेण्ट ने एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली के यहां भी प्रस्तुत कर रखा है। उक्त आदेश प्रशासकीय आदेश है। प्रशासकीय आदेश की अपील नहीं की जा सकती है। इस कारण उक्त अपील पोषणीय नहीं हैं। अतः निवेदन हैं कि उक्त अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावें।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

किया। पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता हैं कि अपीलान्टस के पिता बिरधा पुत्र [redacted] को उक्त भूमि के साबिक खसरा नम्बर 371 में से 11 बीघा भूमि दिनांक 16.05.1965 को नियमानुसार आवंटित की गई थी और कब्जा दिया गया था। तब से आवंटी तथा उसके वारिस (अपीलान्ट) का भूमि पर कब्जा रहा है। उक्त भूमि खसरा नं. 371 में बीच से जा रही नहर के उत्तर दिशा में स्थित है। उक्त नहर के नीचे की ओर दक्षिण दिशा की भूमि रेस्पोडेण्टस के पिता कल्याण को आवंटित की गयी थी। तहसील देवली में हुए सेटलमेन्ट से साबिक खसरा नं. 371 के नये नम्बर 832, 833, 834, 836, 837, 839, 841, 842, 844, 848, 849, 850 बना दिए गये है एवं सेटलमेन्ट अधिकारियों ने बिना किसी सक्षम आदेश के अपीलान्ट के कब्जे काश्त की भूमि हाल ख. नं. 832, 833, 834, 836, 837 को रेस्पोडेण्टस सं. 1 व 2 की खातेदारी में लगा दिया एवं अपीलान्टस का जिन खसरा नम्बरों पर कब्जा नहीं है, उन खसरा नम्बरों को अपीलान्टस की खातेदारी में लगा दिया। अपीलान्टस ख. नं. 832, 833, 834, 836, 837 पर काबिज काश्त रहे जो कि सेटलमेन्ट में हुई अनियमतिता की वजह से रेस्पोडेण्टस की खातेदारी में लग चुकी है। अपीलान्टस ने उक्त अनियमितता का फायदा उठाकर जिला कलेक्टर महोदय को काश्त करवाने तथा कब्जा दिलवाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार देवली ने उक्त आदेश पारित किया है। तहसीलदार देवली ने पटवारी हल्का से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त आदेश पारित किया है। आदेश पारित करने के पूर्व अपीलान्ट को दिनांक 16.05.1965 को साबिक खसरा नम्बर 371 में से 11 बीघा भूमि के हुए आवंटन को ध्यान में नहीं रखा गया हैं एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन भी नहीं किया गया है। अपीलान्टस को सुनवाई का समुचित अवसर भी नहीं दिया गया है। मात्र पटवारी की रिपोर्ट पर उक्त आदेश पारित किया गया हैं जो कि विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। अतः तहसीलदार देवली द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.12.2018 में हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्टस आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार देवली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.12.2018 निरस्त किया जाता हैं एवं प्रकरण तहसीलदार देवली को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता हैं कि पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, राजस्व रिकॉर्ड तथा मौके की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करे। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30/4/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामरतन सींकरिया)
अति.जिला कलेक्टर,
टोंक